कार्यालय एकीकृत बाल विकास परियोजना बिल्हा,जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

परिशिष्ट – एक

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका पद हेतु आवेदन पत्र आंमत्रित करने की सूचना

क्र./1965/बा.वि.परि./नियु./2026–27 बिल्हा, दिनांक 05/11/2026

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नानुसार आंगनबाड़ी केन्द्रो के लिए आं.वा. कार्यकर्ता/सहायिका पद रिक्त होने के कारण पद पूर्ति की जानी है। इस हेतु ई–आवेदन पत्र का प्रारूप परियोजना कार्यालय बिल्हा के सूचना पटल पर अवलोकन किया जा सकता है। नियुक्ति हेतु ई–आवेदन पत्र दिनांक **12.11.2026** से **26.11.2026** तक ऑनलाईन **https://aww.e-bharti.in/** की वेबसाईड में जाकर अनिवार्य दस्तावेजो की फाईल अपलोड करते हुए आवेदन कर सकते है। नियत समय के बाद ऑनलाईन आवेदन पर किसी प्रकार का विचार नही किया जावेगा।

रिक्त पदों की स्थिति की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र	नगर / ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड /ग्राम का नाम	केन्द्र कमांक	पद का नाम
1	2	3	4	5
1	नगर पंचायत बोदरी	चंद्रशेखर आजाद वार्ड क्र. 11	न.पं. बोदरी 11	आं.बा. सहायिका

आवेदन किये जाने हेतु निम्नानुसार आर्हताए हैं :–

1. आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। (एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता/सहायिका/सह–सहायिका/संगठिका को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जावेगी) (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करने पर)
2. आवेदिका उसी ग्राम की स्थानीय निवासी होना चाहिए जिस ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है। (शहरी क्षेत्रों में आवेदिका उसी वार्ड की निवासी होना चाहिए)। आवेदन पत्र के साथ निवास के संबंध में निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज संलग्न किया जावेगा।

   निवासी होने के प्रमाण में (i) संबंधित ग्राम की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो एवं नगरीय क्षेत्र होने पर संबंधित वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके कमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जावे।

   अथवा

   संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित अथवा पटवारी तथा नगरीय निकायों में की जाने वाली नियुक्ति में वार्ड पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड एवं ग्राम में निवासरत रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो मान्य किया जावेगा।
3. आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होनी चाहिए।

आंगनबाडी कार्यकर्ता पद हेतु	**12 वी अथवा 11 वी बोर्ड उत्तीर्ण (पूर्ववर्ती)**
आंगनबाडी सहायिका पद हेतु	**8 वी बोर्ड उत्तीर्ण**

टीप :– आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12 वी उत्तीर्ण होगी। शहरी/ग्रामीण/आदिवासी परियोजना में कोई आवेदिका न मिलने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर उस केन्द्र हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रावधान दसवी (बोर्ड) उत्तीर्ण रखी जावेगी एवं इसके उपरांत भी आवेदिका न मिलने पर 8 वी उत्तीर्ण रखी जावेगी। यदि 8 वी उत्तीर्ण आवेदिका नही मिलती है तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रावधान शिथिल मान कर 5 वी उत्तीर्ण रखी जावेगी यदि किसी केन्द्र हेतु 5 वी उत्तीर्ण आवेदिका भी नही मिलती है तो सक्षम स्वीकृति लेकर साक्षर महिला की भी नियुक्ति की जा सकती है।

आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8 वी उर्त्तीण होगी। शहरी/ग्रामीण/आदिवासी परियोजना में कोई आवेदिका न मिलने पर तो उपरोक्तानुसार ही शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर उससे कम शैक्षणिक योग्यता पर भी विचार किया जावेगा। कोई भी शिक्षित आवेदिका न मिलने पर साक्षर महिला की भी नियुक्ति सक्षम अधिकारी की स्वीकृती से की जा सकती है।

4. अनुभवी कार्यकर्ता/मिनी कार्यकर्ता/सहायिका/सह–सहायिका होने पर गरीबी रेखा परिवार, अनुसूचित जाति जनजाति परिवार की महिला होने, अनुसुचित जाति/जनजाति विभाग द्वारा संचालित कन्या आश्रम में 8 वी तक अध्ययन करने पर तथा विधवा परित्यकता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर अतिरिक्त अंक दिया जावेगा।
   (i) आवेदिका विधवा महिला होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
   (ii) परित्यकता महिला के संबंध में दो वर्ष से अधिक की अवधि को ही मान्य किया जावेगा। आवेदिका परित्यकता होने की स्थिति में संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र/नगर पंचायत क्षेत्र होने पर नगर पंचायत अध्यक्ष तथा नगर निगम /नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड के पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र अथवा न्यायालय द्वारा जारी तत्संबंधी आदेश संलग्न करना होगा।
   (iii) तलाकशुदा महिला होने के संबंध में न्यायालयीन आदेश की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
   (iv) यदि शासन से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता/पेंशन प्राप्त की जा रही हो तो उसका प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जा सकता है।
5. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किये जायेगे। अस्थायी जाति प्रमाण पत्र होने की स्थिति में जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि समाप्त न हुई हो ।
6. सहायिका पद हेतु आवेदिका यदि 8 वी कक्षा ग्रेडिंग पद्धति से उत्तीर्ण है तो आवेदन पत्र के साथ प्रधान पाठक द्वारा हस्ताक्षरयुक्त अंक विवरण प्रमाण पत्र संलग्न कारना होगा। अंक विवरण प्रमाण पत्र संलग्न नही होने के अभाव में अपात्र किया जावेगा।
7. यदि आवेदिका गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सदस्य हो तो (प्रभावशील गरीबी रेखा सूंची में) उसे सक्षम अधिकारी द्वारा (ग्रामीण क्षेत्र हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं नगरीय क्षेत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र) जिसमें गरीबी रेखा क्रमांक एवं वर्ष का स्पष्ट उल्लेख हो संलग्न करना होगा।
8. जन्मतिथि के प्रमाणीकरण हेतु 8 वी एवं 10 वी की अंक सूची संलग्न करें।
9. यदि किसी आवेदिका के निवास के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस आवेदक के निवास के सत्यापन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास संबंधी प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
10. चयन के किसी भी स्तर में प्रमाण पत्र/दस्तावेज/अभिलेख यदि असत्य पाया जाता है तो विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी जिसकी संपूर्ण जवाबदारी आवेदिका की होगी।
11. आवेदन पत्र **https://aww.e-bharti.in** की वेबसाईड में जाकर अपनी पूरी जानकारी भरे एवं सभी दस्तावेजो में स्वप्रमाणित कर फाईल अपलोड करना अनिवार्य होगा।
12. आवेदन पत्र ऑनलाईन स्वीकार किये जायेगें, आफलाईन आवेदन परियोजना कार्यालय में स्वीकार नही किये जायेगें।

उपरोक्तानुसार आर्हता रखने वाले इच्छुक आवेदिका रिक्त पद हेतु आवेदन कर सकते है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं का पद पूर्णतः मानसेवी तथा अशासकीय पद है। इन्हे केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानेदय दिया जावेगा।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
बिल्हा,जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

पृ.क./ 1966 /बा.वि.परि./नियु./2026–27 बिल्हा, दिनांक 05/11/2026

प्रतिलिपि,

1. कलेक्टर, जिला–बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एंव बाल विकास विभाग बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।
3. उप संचालक, जिला जनसम्पर्क कार्यालय बिलासपुर की ओर सूचनार्थ। कृपया स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में निः शुल्क प्रकाशन करवाने का कष्ट करे।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा) बिल्हा, जिला–बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।
5. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद बोदरी को सूचनार्थ।
6. पर्यवेक्षक ..... प्रभारी पर्यवेक्षक न.पं. बोदरी को सूचनार्थ। कृपया आप अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त पद के लिए आं.बा. सहायिका की नियुक्ति हेतु आनलाईन आवेदन पत्र मंगाये जाने हेतु अपने स्तर से मुनादी कराकर पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत करे।
7. पार्षद वार्ड क्र. 11 चंद्रशेखर आजाद वार्ड को सूचनार्थ कृपया अपने स्तर पर प्रचार–प्रसार करने का कष्ट करे।
8. नियुक्ति शाखा प्रभारी/लिपिक सभी आंगनबाडी केन्द्रों के मुनादी प्रमाण पत्र एवं पावतीयां संकलित करे तथा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त करने पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संबंधित कोटवार प्रचार–प्रसार हेतु मुनादी कर प्रमाण पत्र संबंधित कार्यकर्ता के माध्यम से देवें।
10. संबंधित आ. बा. कार्यकर्ता /सहायिका आ.बा.केन्द्र में विज्ञापन चस्पा करावें।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
बिल्हा,जिला–बिलासपुर (छ.ग.)